कार्यालय जिला पंचायत जालौन स्थान उरई

ई–नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत जालौन स्थान उरई के स्वामित्व के भवन/दुकानों को किराये पर दिये जाने पर प्रीमियम (पगड़ी) हेतु नीलामी निम्नांकित विवरण के अनुसार उपलब्ध भवन/दुकानों आदि को किराये पर जाने हेतु प्रीमियम की नीलामी दिनॉक 16.02.2018 को 12.00 बजे दिन से कार्यालय जिला पंचायत जालौन स्थान उरई के सभागार में की जायेगी। उपरोक्त तिथि में नीलामी सम्पन्न न होने की स्थिति में पुनः नीलामी दिनॉक 21.02.2018 एवं 27.02.2018 को पूर्व नियत समय/स्थान पर की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय, एवं स्थान पर उपस्थित होकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत जालौन स्थान उरई से नीलामी से सम्बन्धित शर्तो आदि की जानकारी की जा सकती है।

क्र. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	प्रीमियम की धनराशि (न्यूनतम् प्रति दुकान)	मासिक किराया (प्रति दुकान)	निर्धारित जमानत धनराशि (प्रति दुकान)
1	2	3	4	5
1	नेहरू मार्केट उरई में स्थित दुकान न0–83, 84 (इलाहाबाद बैंक) को किराये पर उठाया जाना है।	6,73,920.00	12,640.00	50,000.00
2	नेहरू मार्केट उरई में स्थित दुकान न0–64 व 65 के बीच में निर्मित जीना के नीचे वाली दुकान को किराये पर उठाया जाना है।	43,200.00	810.00	10,000.00
3	जिला पंचायत स्वामित्व वाली ग्राम गोहन में स्थित दुकान न0–4 को किराये पर उठाया जाना है।	2,39,000.00	960.00	20,0000.00
4	गांधी मार्केट उरई में स्थित का भवन 30×30 फीट में निर्मित भवन को प्रीमियम और किराये पर उठाया जाना है।	10,05,000.00	13,400.00	1,00,000.00

(नीलामी की मुख्य शर्ते निम्न है)

1– उक्त की नीलामी हेतु प्रत्येक बोलीदाता को कॉलम 5 में उल्लिखित जमानत धनराशि नगद जमा करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि जमा करने पर ही बोली में भाग ले सकेगा।

2– नीलामी समाप्त होने पर सर्वोच्य बोलीदाता को प्रीमियम (पगड़ी) की सम्पूर्ण धनराशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत धनराशि जब्त करते हुये पुनः नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है।

3– नीलामी में बोली की धनराशि अधिक बढ़ जाने पर, नीलामी समिति को अधिकार होगा कि बोलीदाताओं से बोली की आधी धनराशि जमा कराकर अथवा जमानत की धनराशि पुनः निर्धारित करके बोलीदाताओं से जमा कराकर बोली की कार्यवाही आगे बढ़ा कर की जा सकती हैं।

4– प्रीमियम के रुप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति में सर्वोच्य बोलीदाता को वापिस नही की जायेगी, तथा न ही वह राशि किराया आदि में समायोजित की जायेगी।

5–नीलामी स्वीकार करने/न करने का अधिकार मान0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत जालौन में निहित है।

6– नीलामी स्वीकार हो जाने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित सर्वोच्य बोलीदाता को किरायेदारी का इकरारनामा स्वयं अपने व्यय से, निर्धारित लागत के स्टाम्प पेपर पर कराना अनिवार्य होगा।

7–.शासनादेशानुसार प्रत्येक 3 वर्ष बाद, किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः मानी जायेगी।

8– अनुबन्ध पत्र/किरायानाम पूर्ण करने के उपरान्त एवं कब्जा दखल लेने से पूर्व सर्वोच्य बोलीदाता/किरायेदार को एक वर्ष का अग्रिम किराया जमा करना अनिवार्य होगा।

9– विजलीफिटिगं,पानी,सीवर, अन्य समस्त करों आदि का भुगतान किरायेदार द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा यदि दुकान में किसी भी प्रकार की कोई टूट फूट होती है तो आवंटी अपने व्यय से स्वयं करायेगा।

10– आवंटी/किरायेदार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने या किसी सिकमी किराये पर देने का अधिकार नही होगा। किसी बाहरी व्यक्ति को सिकमी किराये पर देने की जानकारी प्राप्त होने पर स्वतः आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

11– भवन/दुकान का कब्जा अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा दिये जाने हेतु एक तिथि निश्चित कर किरायेदारों को सूचित किया जायेगा। उक्त तिथि पर कब्जा करना/लेना अनिवार्य होगा। यदि किरायेदार उक्त तिथि में उपस्थित नही होता है तो किराया नीलामी स्वीकृति होने की तिथि से प्रारम्भ हो जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भी प्रार्थनापत्र पर विचार नही किया जायेगा।

12– भवन/दुकान का आवंटन केवल व्यवसायिक उपयोग हेतु किया जायेगा। इसमें मॉस मदिरा,नशे एवं प्रदूषण फैलने आदि से सम्बन्धित व्यवसाय नही करेगें और न ही धार्मिक/राजनैतिक रूप में प्रयोग करेगे।, यदि ऐसा करते हुए पाया जायेगा तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

13– जलकर, सीवरकर, तथा अन्य कर जो भी होंगे वह किरायेदार को स्वयं अपने व्यय से वहन करने होंगे।

(आर0 के0 जायसवाल) अभियन्ता जिला पंचायत जालौन	(ऐ0के0 सिह) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जालौन	(सुमन निरंजन) अध्यक्ष जिला पंचायत जालौन

कार्यालय जिला पंचायत जालौन स्थान उरई।

पत्र सं0 1961 /सम्पत्ति/ई0आर0के0/2017–18 दिनाँक : 01.02.2018

प्रतिलिपि– मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत जालौन की सेवा में अवलोकनार्थ।

2. जिलाधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई की सेवा में सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी जालौन स्थान उरई की सेवा में सूचनार्थ।
4. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, उरई एवं माधौगढ़ को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता जिला पंचायत जालौन (सदस्य नीलामी समिति) को नीलामी की तिथियों में नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु प्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक जिला पंचायत जालौन स्थान उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नीलामी की मुनादी आदि कराकर व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करते हुए नीलामी तिथि में उपस्थित रहें।
7. नाजिर, जिला पंचायत जालौन स्थान उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नीलामी सम्पन्न कराने हेतु सभागार में व्यवस्था करायें।
8. ई–डिस्ट्रिक मैनेजर उरई को जनपद जालौन की बेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।
9. श्री अनीश कुमार आशुलिपिक जिला पंचायत जालौन को जिला पंचायत की बेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को आशय के साथ प्रेषित जनपद की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
11. सम्पादक, दैनिक कर्मयुग प्रकाश उरई को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर बिल व समाचार पत्र दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करें। बिल का भुगतान रू0 2,000/–(दो हजार मात्र) तक की सीमा देय होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत जालौन

anu letter all 178